उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या-14/2015/सीपी 446/84-2-2015-सीपी 6/2014

लखनऊ : दिनांक : 01 जून , 2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल नीचे दिये गये विवरण के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों को उक्त विवरण के स्तम्भ-3 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरमों में अध्यक्ष के पद पर प्रशासनिक आधार पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करते हैं :-

विवरण

क्र0सं0	नाम एवं वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित जनपद का नाम
1	2	3
1	श्री देश भूषण जैन, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बागपत, वर्तमान में जिला उपभोक्ता फोरम, मेरठ से सम्बद्ध	जिला उपभोक्ता फोरम, मेरठ
2	श्री राजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मुजफ़्फरनगर, वर्तमान में जिला उपभोक्ता फोरम, बागपत से सम्बद्ध	जिला उपभोक्ता फोरम, बागपत
3	श्री हरपाल सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गाजियाबाद, वर्तमान में जिला उपभोक्ता फोरम, मुजफ़्फरनगर से सम्बद्ध	जिला उपभोक्ता फोरम, मुजफ़्फरनगर
4	श्री हरी सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मेरठ, वर्तमान में जिला उपभोक्ता फोरम, गाजियाबाद से सम्बद्ध को	जिला उपभोक्ता फोरम, गाजियाबाद
5	श्री पवन कुमार जैन, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, चन्दौली, वर्तमान में जिला उपभोक्ता फोरम, मुरादाबाद द्वितीय से सम्बद्ध	जिला उपभोक्ता फोरम, मुरादाबाद द्वितीय
6	श्री जगदीश्वर सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मुरादाबाद द्वितीय, वर्तमान में जिला उपभोक्ता फोरम, चन्दौली से सम्बद्ध	जिला उपभोक्ता फोरम, चन्दौली

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2 उपर्युक्त आदेश सिविल अपील संख्या-6733/2001 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम आनंद प्रकाश सोलंकी में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25 अगस्त, 2003 के अधीन चयन समिति की संस्तुति के उपरांत व्यापक जनहित में निर्गत किये जा रहे हैं।

3 उपर्युक्त स्थानान्तरित अध्यक्षगण को एतद्द्वारा यह निदेशित किया जाता है कि वह कृपया अपने स्थानान्तरित स्थान पर आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा तदुपरान्त राज्य आयोग एवं शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

बी0एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी (मेरठ/बागपत/मुजफ्फरनगर/गाजियाबाद/चन्दौली/मुरादाबाद)।

(5) जनपदीय कोषाधिकारी (मेरठ/बागपत/मुजफ्फरनगर/गाजियाबाद/चन्दौली/मुरादाबाद)।

(6) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उ0प्र0।

(8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(9) सम्बन्धित अध्यक्षगण। (द्वारा रजिस्टर्ड डाक)।

(10) सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम (मेरठ/बागपत/मुजफ्फरनगर/गाजियाबाद/चन्दौली /मुरादाबाद)।) द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग।

(11) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।